FORM No. 123

(आदेश 24 नियम 07, आदेश 32 नियम 03)

फर्द अहकाम

सीएनआर नम्बर..................

अज अदालत अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

(गोपाल बनाम अबरार हुसैन)

दिनांक	पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश अनुपालन की संक्षिप्त टिप्पणी
11-09-2025	सहायक अभियोजन अधिकारी अनुपस्थित। परिवादी मय अधिवक्ता उपस्थित। बहस प्रसंज्ञान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि परिवादी गोपाललाल की पत्नी हेमलता के खातेदारी की आराजी ग्राम गुडली, तहसील छोटीसादड़ी में आराजी नंबर 116, 117, 118 किता 03 कुल रकबा 2.98 हे. स्थित है। इस कृषि भूमि पर परिवादी व परिवादी की पत्नी वर्षो से काबिज हो काश्त करते चले आ रहे हैं। अबरार हुसैन प.ह. हडमतिया जागीर व महिपाल सिंह तत्कालीन तहसीलदार छोटीसादड़ी द्वारा परिवादी की पत्नी को नुकसान पहुंचाने की नियत से मुलजिम गोवर्धन का फायदा पहुंचाने की नियत से अबरार द्वारा दिनांक 06.07.2021 को हेमलता की जमीन का फर्जी पर्चा मौका तैयार किया तथा उसके ऊपर गवाहान के हस्ताक्षर भी गवाहान को बिना बताये बिना मौके पर बुलाये खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये और कुछ लोगों के हस्ताक्षर फर्जी तरीके से करके पर्चा मौका बनाकर तहसीलदार, छोटीसादड़ी को पेश किया जिस पर तत्कालीन तहसीलदार द्वारा उक्त फर्जी पर्चा मौका एवं फर्जी वसीयत के आधार पर हेमलता की जमीन को गोवर्धनसिंह के नाम पर गलत तरीके से नामांतरण खोलने का आदेश दिया। मुलजिम अबरार व तहसीलदार महिपालसिंह यह जानते हुये कि यह जमीन हेमलता के खाते व कब्जे काश्त की है तथा उक्त आराजी पर कभी भी ज्वार की फसल की बुवाई नहीं की गई, फिर भी पटवारी ने पर्चे मौके में ज्वार की फसल बताकर गोवर्धनसिंह का कब्जा बताया, जबकि उक्त जमीन पर खसरा गिरदावरी में ज्वार की फसल का कहीं भी अंकन नहीं है। मुलजिमान अबरार हुसैन पटवारी व तत्कालीन तहसीलदार महिपालसिंह यह जानते हुये भी कि इस जमीन पर गोवर्धनसिंह का कब्जा नहीं है, फिर भी गोवर्धनसिंह के पक्ष में फर्जी दस्तावेज तैयार कर उस पर गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर करके असल के रूप में उपयोग किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में भी फर्जी रिकॉर्ड तैयार कर असल के तौर पर उपयोग में लेकर परिवादी की पत्नी हेमलता को उक्त आराजी से बेदखल करने की कार्यवाही की। उक्त पर्चा मौका की नकल परिवादी ने लेकर पर्चा मौके पर हस्ताक्षर वाले गवाहान से पूछताछ की तो गवाहान रघुनाथसिंह व करण ने उसके हस्ताक्षर होने से मना किया, छगनलाल व जगदीश ने कहा कि उन्हें तो रास्ते में खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये। उक्त गवाहान से मौका पर्चा बाबत् मुलजिमान ने कोई किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी और भी गवाहान के हस्ताक्षर खाली कागज पर कराये जो कि उक्त गवाहान के द्वारा हस्ताक्षर नहीं होने व खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाने का शपथ पत्र स्टाम्प पर लिखकर नोटरी से तस्दीक करा परिवादी व परिवादी की पत्नी हेमलता को सुपुर्द किये। जिसकी सत्यापित प्रतियां परिवाद के साथ अवलोकनार्थ संलग्न है। मुलजिमान, परिवादी की पत्नी को ग्राम गुडली की आराजी से बेदखल करने के लिये गोवर्धनसिंह से मिलीभगत कर षडयंत्र रचकर आराजीयात का फर्जी दस्तावेज तैयार कर उक्त आराजीयात का नामांतरण गोवर्धनसिंह के पक्ष में करने की कार्यवाही जो कि गैरकानूनी है। मुलजिमान ने अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471/120 बी भादस के तहत कारित किया। ग्राम गुडली की आराजी नंबर 116, 117, 118 बाबत् पंजीकृत अधिकार पत्र हेमलता पुत्री किशनलाल जी आमेटा निवासी बंबोरी ने परिवादी को दे रखा है। जिससे यह परिवाद परिवादी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। अधिकार पत्र की प्रति संलग्न है। परिवादी द्वारा पुलिस थाना, छोटीसादड़ी एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय, प्रतापगढ़ को भी रिपोर्ट पेश की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होने से यह परिवाद श्रीमान् के न्यायालय में अविलंब पेश किया जा रहा है। घटना ग्राम गुडली पुलिस थाना, छोटीसादड़ी की आराजीयात से संबंधित होने से तथा परिवादी व मुलजिमान भी न्यायालय के	

	क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से यह परिवाद पेश है। अतः निवेदन है कि परिवाद वास्ते कार्यवाही व अनुसंधान अंतर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. के तहत पुलिस थाना, छोटीसादड़ी को भिजवाया जावे। परिवाद के समर्थन में परिवादी का शपथ पत्र पेश है एवं पटवारी द्वारा बनाया गया पर्चा मौका व तहसीलदार की रिपोर्ट जमाबंदी व खसरा गिरदावरी और शपथ पत्र साथ में संलग्न है। उक्त इस्तगासा पर परिवादी के 200 द.प्र.सं. के तहत बयान दिनांक 15.10.2022 को लेखबद्ध किये गये। जिसमें परिवादी ने कथन किया कि उसकी पत्नी हेमलता की खातेदारी की जमीन ग्राम गुडली में स्थित है। जिसकी आराजी नंबर 116, 117, 118 कुल किता 03 कुल रकबा 2.98 हे. है। यह उसने उसकी पत्नी के नाम से जमीन 1991 में खरीदी थी, तब से खेती वे ही कर रहे हैं। अबरार हुसैन पटवारी और तहसीलदार महिपालसिंह और गोवर्धनसिंह ने उसकी पत्नी की जमीन को नुकसान पहुंचाने के लिये इन तीनों ने मिलकर गलत मौका पर्चा बनाया है। जिसमें रघुनाथ सिंह व करणसिंह के हस्ताक्षर फर्जी थे और सुखलाल, जगदीशचंद्र के हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये थे और उसकी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। उक्त तीनों लोग उसकी पत्नी की जमीन को फर्जी कागजात बनाकर जमीन गोवर्धनसिंह के नाम से करना चाह रहे है। पटवारी व तहसीलदार यह जानते हुये कि जमीन हेमलता की है, फिर भी गलत मौका पर्चा बनाया। जिस पर ज्वार की फसल नहीं है, बल्कि उसमें सोयाबीन, मक्का, मुंगफली की फसल है। गोवर्धनसिंह ने फर्जी कागज बनाकर गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर असल के रूप में पेश किये। उसके बाद उसने पर्चा मौका की नकल ली और देखकर गवाह से पता किया जिनका नाम करणसिंह व रघुनाथसिंह उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर उसके नहीं है और छगन व जगदीश ने बताया कि यह साईन उनसे खाली कागज पर करवाये थे। करणसिंह व रघुनाथ व छगन के शपथ पत्र बनाये और नोटरी करवाकर कोर्ट में पेश किया। गोवर्धनसिंह उसकी पत्नी की जमीन को हड़पना चाह रहा है। इन्होंने पहले भी फर्जी वसीयत बनाई थी उसका मुकदमा हुआ था। जिसमें उनके पक्ष में फैसला हुआ था। गोवर्धनसिंह फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी पत्नी की जमीन को उसके नाम करवाना चाह रहा है। पटवारी ने फर्जी मौके पर्चे बनाये हैं। इसकी थाने पर दिनांक 01.09.2022 रिपोर्ट की थी। उसके बाद फिर एसपी साहब को चार दिन बाद रजिस्टर्ड डाक रिपोर्ट को भेजा था। छगन, करण व रघुनाथ के शपथ पत्र पत्रावली पर पेश है। अबरार, महिपालसिंह व गोवर्धनसिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। वर्तमान में जमीन उसकी पत्नी से होकर उनके कब्जे में है। पुलिस थाना, छोटीसादड़ी की ओर से दिनांक 26.11.2024 को उक्त परिवाद में 202 जा.फो. का पेश कर उक्त जांच में अंकित किया कि प्रार्थी गोपाल, गवाहान रघुनाथसिंह, करणलाल, कैलाशचंद्र, रमेशचंद, मुकेश कुमार, छगनलाल, शंभुलाल, बद्रीलाल, नारायणलाल, रामलाल, मोहनलाल, देवीलाल, कैलाशसिंह, चैनसिंह व जगदीश आदि के बयानों में काफी विरोधाभास है। गवाह करणलाल द्वारा कोरे कागज पर हस्ताक्षर करना, जगदीश जटिया व छगनलाल द्वारा स्वतंत्र गवाह रमेशचंद्र, मुकेश आदि द्वारा भी विरोधाभास आ रहा है। आराजी नंबर 116, 117, 118 के पड़ोसी गवाहान बद्रीलाल, मोहनलाल, रामलाल, नारायणलाल, शंभुलाल द्वारा भी गोपाल जी आमेटा का कब्जा व काश्त करते हुये उसके बयानों में बताया गया है। नक्शे मौके में पटवारी प.ह. हड़मतिया जागीर द्वारा दिनांक 06.07.2021 में उक्त आराजी में ज्वार की फसल बताई गई है, जबकि उसी आराजी में गवाहान द्वारा कभी ज्वार की फसल नहीं लगाकर मक्का, सोयाबीन, मुंगफली की फसले खेत में बोना बताया गया है। गवाहानों द्वारा बताया गया कि पटवारी द्वारा मौके पर मौका पर्चा तैयार नहीं किया गया। गवाहानों द्वारा बताया गया कि पटवारी द्वारा मौके पर पर्चा तैयार नहीं किया गया। गवाहों द्वारा बताया गया कि मौतबीर व्यक्ति बनाना है, जिसके हस्ताक्षर इस कागज पर करना है। ऐसा कहकर हस्ताक्षर कराये गये ऐसा बताया जाता है। गवाह जगदीश जटिया द्वारा भी मौका पर्चा उसके सामने नहीं बना बयान करता है। प्रार्थी गोपाल ने उक्त आराजी 116, 117, 118 कुल रकबा 2.98 हे. के संबंध में 01 से लगाकर 126 पेज तक के दस्तावेजों की फोटो प्रतियां पेश की गई। उसका भी क्रमबद्ध अवलोकन किया जाकर शामिल जांच पत्रावली किया। संपूर्ण जांच से पटवारी अबरार, तहसीलदार महिपालसिंह व गोवर्धनसिंह का इस प्रकरण में गवाहानों व दस्तावेजों	

से प्रार्थीया हेमलता को नुकसान पहुंचाने की नियत से व गोवर्धनसिंह को फायदा पहुंचाने की नियत से प्रकरण में संलिप्तता होना प्रतीत होता है।

सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के मत में यदि परिवादी के बयान अंतर्गत धारा 200 द.प्र.सं. के कथनों का अवलोकन किया जावे तो परिवादी का कथन रहा कि उसकी पत्नी हेमलता की खातेदारी की जमीन ग्राम गुडली में स्थित है। जिसकी आराजी नंबर 116, 117, 118 कुल किता 03 कुल रकबा 2.98 हे. है। यह उसने उसकी पत्नी के नाम से जमीन 1991 में खरीदी थी, तब से खेती वे ही कर रहे हैं। अबरार हुसैन पटवारी और तहसीलदार महिपालसिंह और गोवर्धनसिंह ने उसकी पत्नी की जमीन को नुकसान पहुंचाने के लिये इन तीनों ने मिलकर गलत मौका पर्चा बनाया है। जिसमें रघुनाथ सिंह व करणसिंह के हस्ताक्षर फर्जी थे और सुखलाल, जगदीशचंद्र के हस्ताक्षर खाली कागज पर करवाये थे और उसकी जमीन को हड़पना चाह रहे हैं। उक्त तीनों लोग उसकी पत्नी की जमीन को फर्जी कागजात बनाकर जमीन गोवर्धनसिंह के नाम से करना चाह रहे है। पटवारी व तहसीलदार यह जानते हुये कि जमीन हेमलता की है, फिर भी गलत मौका पर्चा बनाया। जिस पर ज्वार की फसल नहीं है, बल्कि उसमें सोयाबीन, मक्का, मुंगफली की फसल है। गोवर्धनसिंह ने फर्जी कागज बनाकर गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर करवाकर असल के रूप में पेश किये। उसके बाद उसने पर्चा मौका की नकल ली और देखकर गवाह से पता किया जिनका नाम करणसिंह व रघुनाथसिंह उन्होंने कहा कि यह हस्ताक्षर उसके नहीं है और छगन व जगदीश ने बताया कि यह साईन उनसे खाली कागज पर करवाये थे। करणसिंह व रघुनाथ व छगन के शपथ पत्र बनाये और नोटरी करवाकर कोर्ट में पेश किया। गोवर्धनसिंह उसकी पत्नी की जमीन को हड़पना चाह रहा है। इन्होंने पहले भी फर्जी वसीयत बनाई थी उसका मुकदमा हुआ था। जिसमें उनके पक्ष में फैसला हुआ था। गोवर्धनसिंह फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसकी पत्नी की जमीन को उसके नाम करवाना चाह रहा है। पटवारी ने फर्जी मौके पर्चे बनाये हैं। इसकी थाने पर दिनांक 01.09.2022 रिपोर्ट की थी। उसके बाद फिर एसपी साहब को चार दिन बाद रजिस्टर्ड डाक रिपोर्ट को भेजा था। छगन, करण व रघुनाथ के शपथ पत्र पत्रावली पर पेश है। अबरार, महिपालसिंह व गोवर्धनसिंह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे। वर्तमान में जमीन उसकी पत्नी से होकर उनके कब्जे में है।

अनुसंधान अधिकारी ने दौराने जांच गवाह रघुनाथसिंह, करणसिंह, सुखलाल, जगदीशचंद्र, छगनलाल के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह जगदीश ने अनुसंधान अधिकारी के समक्ष हुये बयानों में उनके सामने हल्का पटवारी द्वारा कोई मौका नहीं देखा जाना, उनका मौका कार्यवाही के वक्त मौके पर मौजूद नहीं होना ना ही खाली कागज पर हस्ताक्षर किये जाने बाबत् कथन किये हैं। इसी प्रकार गवाह छगन रावत ने कथन किया कि वह उसके भतीजे भगवतीलाल जिसकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी, के घर पर गया था। जहां वह बाहर खड़ा था। वहां पटवारी साहब व जसवंत आये और हस्ताक्षर करने को कहा तो उसने हस्ताक्षर कर दिये। पटवारी साहब ने किसी पर्चा मौका की बात नहीं की और ना ही वह पर्चा मौके की कार्यवाही में मौजूद नहीं था। उसके सामने कोई मौका नहीं देखा गया। आराजी नंबर 116, 117, 118 के पड़ोसी गवाहान बद्रीलाल, मोहनलाल, रामलाल, नारायणलाल व शंभुलाल ने मौके पर परिवादी का कब्जा होना कथन किया है। खसरा गिरदावरी में खसरा नंबर 47 में मक्का, मुंगफली व सोयाबीन व खसरा नंबर 118 में मुंगफली व सोयाबीन होना अंकित है। जमाबंदी में हेमलता पुत्री किशनलाल का नाम अंकित है। गवाह करणलाल व रघुनाथसिंह ने उसके सामने हल्का पटवारी द्वारा मौका नहीं देखा जाना, मौका पर्चा बनाते बरवक्त मौके पर नहीं होना तथा ना ही हस्ताक्षर किये जाने बाबत् शपथ पत्र पत्रावली पर उपलब्ध है। परिवादी गोपाल आमेटा द्वारा किया गया कि विवादित भूखण्ड संख्या 116, 117 व 118 मौजा गुडली कुल किता 03 रकबा 2.98 हे. उसकी पत्नी हेमलता के नाम दर्ज है तथा वह सन् 1991 से काबिज होकर काश्त कर रहा है। दिनांक 06.07.2021 को गोवर्धनसिंह पिता पृथ्वीसिंह राठौड़ राजपुत को फायदा पहुंचाने की नियत से पटवारी प.ह. हड़मतिया जागीर श्री अबरार हुसैन द्वारा तहसीलदार, तहसील छोटीसादड़ी श्री महिपालसिंह सिसोदिया द्वारा उक्त् खातेशुदा जमीन का फर्जी पर्चा मौका तैयार किया। गवाह ने पटवारी प.ह. हडमतिया जागीर श्री अबरार हुसैन द्वारा फर्जी पर्चा मौका बनाया जाना, गवाहान के फर्जी हस्ताक्षर करना तथा

कुछ गवाहान के खाली कागज पर हस्ताक्षर करने बाबत् कथन करते हुये विवादित आराजी पर कभी–भी ज्वार की फसल नहीं होना कथन किया है। गवाह ने कथन किया है कि श्री अबरार हुसैन द्वारा फर्जी तरीके से ज्वार की फसल मौजा पर्चा पर चढ़ाई गई। तहसीलदार महिपालसिंह व पटवारी अबरार हुसैन द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार करना, उस पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाना तथा राजस्व रिकॉर्ड में फर्जी रिकॉर्ड गोवर्धनसिंह के नाम पर तैयार किये जाने बाबत् कथन किये हैं।

गवाह मुकेश व रमेशचंद्र ने विवादित कृषि भूमि हेमलता से पाती किया जाना व सोयाबीन की बुवाई किया जाना कथन किया है। गवाह जगदीश द्वारा मौका पर्चा उसके सामने नहीं बनाया जाना, उसके सामने मौका नहीं देखा जाना व पटवारी साहब के कहने पर मात्र हस्ताक्षर किया जाना कथन किया है। पत्रावली पर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश, जिला कलेक्टर द्वारा पारित अपास्त निर्णय, जमाबंदी, विवादित वसीयतनामा उपलब्ध है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के आधार पर तथा अनुसंधान अधिकारी द्वारा किये गये नतीजा रिपोर्ट के आधार पर यह तथ्य प्रथम दृष्टया न्यायालय के समक्ष आता है कि पटवारी प.ह. हड़मतिया जागीर श्री अबरार हुसैन द्वारा गोवर्धनसिंह को फायदा पहुंचाने की नियत से गोवर्धनसिंह के साथ मिलकर गलत मौका पर्चा तैयार किया गया है। इस स्तर पर न्यायालय को मात्र यह देखना है कि अभियुक्त के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने के प्रथम दृष्टया आधार उपलब्ध है अथवा नहीं जो कि पत्रावली के अवलोकन से उपलब्ध होना जाहिर होता है। जहां तक तहसीलदार महिपालसिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने का प्रश्न है तो इस संबंध में न्यायालय का मत है कि तहसीलदार महिपालसिंह द्वारा पटवारी अबरार हुसैन द्वारा बनाई गई मौका पर्चा व भैरूनाथ, मोहननाथ के दौराने कार्यवाही दिये गये सशपथ बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। पत्रावली पर तहसीलदार महिपालसिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार मौजूद है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा गवाहान के लिये गये बयानों में किसी भी गवाह ने तहसीलदार महिपालसिंह की संलिप्तता के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। तहसीलदार महिपालसिंह द्वारा अपने पदीय कर्तव्य की पालना में आदेश पारित किया जाना प्रतीत होता है। अतः न्यायालय के मत में पटवारी अबरार हुसैन व गोवर्धनसिंह के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध अंतर्गत धारा 420, 467, 468, 471/120 बी भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार होना प्रतीत होता है, परंतु तहसीलदार महिपालसिंह के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने के पर्याप्त आधार नहीं होना प्रतीत होता है।

न्यायालय के मत में चूंकि पटवारी प.ह. हडमतिया जागीर श्री अबरार हुसैन एक लोकसेवक है तथा अभियुक्त द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये फर्जी मौका पर्चा बनाया गया है। ऐसी स्थिति में प्रसंज्ञान लिये जाने से पूर्व धारा 197 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियोजन स्वीकृत्ति प्राप्त किया जाना आवश्यक है तथा उक्त परिवाद की प्रति अभियोजन स्वीकृत्ति हेतु जिला कलेक्टर प्रतापगढ़ को पृथक से परिवादी की तथा हस्तगत आदेश की प्रमाणित प्रति मय तहरीर जारी की जावे तथा तहरीर पर नोट अंकित किया जावे कि इस पत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुये उक्त परिवाद में शीघ्रातिशीघ्र अभियोजन स्वीकृत्ति इस न्यायालय को प्रेषित की जावे।

पत्रावली वास्ते पेश होने अभियोजन स्वीकृत्ति हेतु दिनांक 25.09.2025 को पेश हो।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
छोटीसादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राज.)